किस्म मुकदमा........ सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
12/3/2022	पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। वादी ने अपने सम्पूर्ण दस्तावेजात व शपथपत्र आदि पेश किए। प्रतिवादी सरकार पैरोकार ने कहा कि प्रकरण में राजहित प्रभावी नहीं है अतः वाद स्वीकार है। दस्तावेजात व जवाब सरकार के आधार पर वाद स्वीकार किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। विस्तृत निर्णय लिखकर शामिल पत्रावली किया गया।	राजहित प्रभावित नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय इजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 26/2022 तारीख दायरा 12.03.2022

उनवान

छीतरलाल उर्फ ओंकारलाल पुत्र श्री पन्नालाल जाति माली निवासी ग्राम लसेडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादी) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के संयुक्त खाते एकल खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम लसेडियाकलां पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता सं. नई 4 पुरानी 5 के ख.न. 388 की 0.06 है. एवं खाता सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

नई 27 पुरानी 25 के ख.न. 385 की 0.08 है., ख.न. 415 की 0.15 है. कुल 2 किता की कुल 0.43 है., खाता सं. नई 24 पुरानी 26 के ख.न. 412 की 0.08 है. आराजी स्थित है। साथ ही माल ग्राम नयापुरा पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं. नई 55 पुरानी 57 के ख.न. 385, 386, 387, 388, 479 की क्रमशः 0.01 है., 1.26 है., 0.02 है., 1.25 है., 1.18 है. कुल 5 किता की कुल 3.72 है. आराजी स्थित है। इसके अतिरिक्त माल ग्राम खडिया पटवार हलका खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं. नई 76 पुरानी 75 के ख.न. 896 की 0.56 है., ख.न. 897 की 0.27 है. कुल 2 किता की कुल 0.83 है. आराजी स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में वादी का नाम अधिकार अभिलेख में वादी के पिता की मृत्यु होने पर फौती इन्तकाल दर्ज होने पर पटवार हलका द्वारा वादी का गांव में बोलने वाला नाम छीतरलाल ही दर्ज कर दिया जो आज दर्ज है जबकि वादी का शिक्षा विभाग में नाम ओंकारलाल दर्ज है तथा वादी के पिता का नाम माल ग्राम खडिया में पन्ना दर्ज है जिसे पन्नालाल दर्ज करवाना तथा वादी के पुत्रों व पुत्रियों के शिक्षा विभाग के सभी दस्तावेजात में ओंकारलाल पुत्र छीतरलाल जाति माली निवासी लसेडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राज दर्ज है।

वादी का नाम वाद पत्र में वर्णित आराजी में छीतरलाल दर्ज है तथा वादी के शिक्षा रेकार्ड को वादी के पुत्रों, पुत्रियों के शिक्षा रेकार्ड में वादी का नाम ओंकारलाल दर्ज है इस कारण से वादी को बहुत परेशानी आती है। वादी के ही दो नाम गांव में बोलने वाला नाम व रेकार्डेड नाम छीतरलाल उर्फ ओंकारलाल है लेकिन दो अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति [illegible] के अलावा ओर कोई व्यक्ति उक्त खाते व नाम का नहीं है। वाद पत्र वर्णित [illegible] में आराजी का नाम छीतरलाल उर्फ ओंकारलाल करवाना ही इस वाद पत्र की वि[illegible] वस्तु है तथा खडिया हलका में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

ग्राम खडिया में वादी के पिता का नाम पन्ना दर्ज हो रहा है जिसे भी पन्नालाल दर्ज करवाना वाद की विषय वस्तु है। उक्त आराजी में दर्ज वादी के गलत नाम छीतरलाल के स्थान पर छीतरलाल उर्फ ओंकारलाल पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी लसेडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान दर्ज करने की कृपा करें।

अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की घोषणा कर डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि माल ग्राम लसेडियाकलां पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता सं. नई 4 पुरानी 5 के ख.न. 388 की 0.06 है. एवं खाता सं. नई 27 पुरानी 25 के ख.न. 385 की 0.08 है., ख.न. 415 की 0.15 है. कुल 2 किता की कुल 0.43 है., खाता सं. नई 24 पुरानी 26 के ख.न. 412 की 0.08 है. आराजी स्थित है। साथ ही माल ग्राम नयापुरा पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं. नई 55 पुरानी 57 के ख.न. 385, 386, 387, 388, 479 की क्रमशः 0.01 है., 1.26 है., 0.02 है., 1.25 है., 1.18 है. कुल 5 किता की कुल 3.72 है. आराजी स्थित है। इसके अतिरिक्त माल ग्राम खडिया पटवार हलका खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं. नई 76 पुरानी 75 के ख.न. 896 की 0.56 है., ख.न. 897 की 0.27 है. कुल 2 किता की कुल 0.83 है. आराजी में दर्ज वादी के गलत नाम छीतरलाल के स्थान पर छीतरलाल उर्फ ओंकारलाल पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी लसेडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान व माल ग्राम खडिया में वादी के पिता का नाम पन्ना के स्थान पर पन्नालाल दर्ज करने की कृपा करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:43 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर [illegible] को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। उक्त पत्रावली दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

अदालत में मुख्यालय उपखण्ड न्यायालय सांगोद में रखी गई, प्रतिवादी ने उपस्थित होकर वाद में राजहित प्रभावित नहीं होना स्वीकार किया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा जवाब प्रतिवादी से यह जाहिर होता है कि वादी ने उनके वाद पत्र में जो कथन किये हैं वे सत्य हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अंतिम रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम लसेडियाकलां पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता सं. नई 4 पुरानी 5 के ख.न. 388 की 0.06 है. एवं खाता सं. नई 27 पुरानी 25 के ख.न. 385 की 0.08 है., ख.न. 415 की 0.15 है. कुल 2 किता की कुल 0.43 है., खाता सं. नई 24 पुरानी 26 के ख.न. 412 की 0.08 है. आराजी स्थित है। साथ ही माल ग्राम नयापुरा पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं. नई 55 पुरानी 57 के ख.न. 385, 386, 387, 388, 479 की क्रमशः 0.01 है., 1.26 है., 0.02 है., 1.25 है., 1.18 है. कुल 5 किता की कुल 3.72 है. आराजी स्थित है। इसके अतिरिक्त माल ग्राम खडिया पटवार हलका खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं. नई 76 पुरानी 75 के ख.न. 896 की 0.56 है., ख.न. 897 की 0.27 है. कुल 2 किता की कुल 0.83 है. आराजी में दर्ज वादी के गलत नाम छीतरलाल के स्थान पर छीतरलाल उर्फ ओंकारलाल पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी लसेडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान व माल ग्राम खडिया में वादी के पिता का नाम पन्ना के स्थान पर पन्नालाल दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरस्त किये जा[illegible] विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

(अंजना [illegible])
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना [illegible])
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:58:43 IST
Reason: SelfAttested